

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)77/RTI/UDA/2020 - 4899

दिनांक 01.12.2020

फा.सं. I(22)77/RTI/UDA/2020-3005 दिनांक 07-09-2020

के मामले में

श्री उंदा / जवान  
ग्राम- मोखनपुरा  
तहसील- भदेसर  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

**::आदेश::**

यह आदेश केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)77/RTI/UDA/2020-3005 दिनांक 07-09-2020 के संबंध में श्री उंदा / जवान, निवासी- मोखनपुरा, तहसील- भदेसर, जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा एक पत्र प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी चाँही गई थी। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में उनके पत्र फा.सं. I(22)77/RTI/UDA/2020-3005 दिनांक 07.09.2020 के साथ संबंधित शाखा से प्राप्त पत्र संलग्न कर अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 24.11.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया था परन्तु अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहे।

अतः सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा चाँही गई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसे अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं है।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर निस्तारण किया जाता है।

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्ति के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जे. एन.यु. केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली- 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

श्री उदा / जवान  
निवासी- मोखनपुरा  
तहसील भदोसर  
जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान)

- 54 -

(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने हेतु।



(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)30/NJ/RTI/2018-19 - 4537

दिनांक 06.11.2020

**फा.सं. I(22)30/NJ/RTI/2018-19-4208 दिनांक 23-10-2020**  
**के मामले में**

श्री नाना पिता स्व. श्री कालू जी जाट  
निवासी शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोड कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

**::आदेश::**

यह आदेश केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)30/NJ/RTI/2018-19-4208 दिनांक 23-10-2020 के संबंध में श्री नाना पिता स्व. श्री कालू जी जाट, निवासी- शादी, तहसील- चित्तौडगढ़, जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.09.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन के पेटा क्रमांक-3 की जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में उनके पत्र फा.सं. I(22)30/NJ/RTI/2018-19-4208 दिनांक 23.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी दिनांक 03.11.2020 को उपस्थित हो कर जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर यह जानकारी दी कि संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतः सभी दस्तावेजों का अध्ययन व व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसे अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं है।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्ति के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जे. एन.यु. केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली- 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

श्री नाना जाट पिता स्व. श्री कालू जी जाट  
निवासी- शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

- sd -

(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने हेतु।



(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)83/RTI/RJ/2020 ~ 4540

दिनांक 06.11.2020

फा.सं. I(22)83/RJ/RTI/2020-4195 दिनांक 21/22-10-2020

के मामले में

श्री रतन पिता स्व. श्री औंकार जी जाट  
निवासी शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

**::आदेश::**

यह आदेश केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)83/RJ/RTI/2020-4195 दिनांक 21/22-10-2020 के संबंध में श्री रतन पिता स्व. श्री औंकार जी जाट, निवासी- शादी, तहसील- चित्तौडगढ़, जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन के पैरा क्रमांक-3 की जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में उनके पत्र फा.सं. I(22)83/RJ/RTI/2020-4195 दिनांक 21/22.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी दिनांक 03.11.2020 को उपस्थित हो कर जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर यह जानकारी दी कि संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतः सभी दस्तावेजों का अध्ययन व व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसे अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं है।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्ति के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जे. एन.यु. कैम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली- 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

श्री रतन पिता स्व. श्री आँकार जी जाट  
निवासी- शादी  
तहसील चित्तौडगढ  
जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान)

sd-

(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर- विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने हेतु।



(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmmnh@dataone.in

फा.सं. I(22)83/RTI/PJ/2020 - 4546

दिनांक 06.11.2020

फा.सं. I(22)83/PJ/RTI/2020-4196 दिनांक 21/22-10-2020

के मामले में

श्री प्यारा जटिया पिता श्री सूरजा जटिया  
निवासी शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

**::आदेश::**

यह आदेश केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)83/PJ/RTI/2020-4196 दिनांक 21/22-10-2020 के संबंध में श्री प्यारा जटिया पिता श्री सूरजा जटिया, निवासी- शादी, तहसील- चित्तौडगढ़, जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.09.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन के पेरा क्रमांक-3 की जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में उनके पत्र फा.सं. I(22)83/PJ/RTI/2020-4196 दिनांक 21/22.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी दिनांक 03.11.2020 को उपस्थित हो कर जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर यह जानकारी दी कि संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतः सभी दस्तावेजों का अध्ययन व व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसे अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं है।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्ति के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जे. एन.यु. केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली- 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।


श्री प्यारा जटिया पिता श्री सूरजा जटिया  
निवासी- शादी  
तहसील चित्तौडगढ  
जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान)

-59 -  
(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने हेतु।

  
(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)32/KJ/RTI/2018-19 - 4543

दिनांक 11.10.2020

**फा.सं. I(22)32/KJ/RTI/2018-19-4180 दिनांक 21-10-2020**  
**के मामले में**

श्री कैलाश पिता जीतमल चौधरी  
निवासी शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

**::आदेश::**

यह आदेश केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)32/KJ/RTI/2018-19-4180 दिनांक 21-10-2020 के संबंध में श्री कैलाश पिता जीतमल चौधरी, निवासी- शादी, तहसील- चित्तौडगढ़, जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.08.2020 को छह आवेदन क्रमशः 001/31.08.2020, 002/31.08.2020, 003/31.08.2020, 004/31.08.2020, 005/31.08.2020, 006/31.08.2020 प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सभी आवेदनों के पेरा क्रमांक-3 की जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में उनके पत्र फा.सं. I(22)32/KJ/RTI/2018-19-4180 दिनांक 21.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी दिनांक 03.11.2020 को को उपस्थित होकर जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर यह जानकारी दी कि संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतः सभी दस्तावेजों का अध्ययन व व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसे अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं है।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्ति के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जे. एन.यु. कैम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली- 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

श्री कैलाश पिता जीतमल चौधरी  
निवासी- शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

-s d -

(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने हेतु।

  
(प्रमोद सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18 - 1432

दिनांक: 11.06.2019

फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18/409 दिनांक 22-04-2019  
के मामले में

12  
अपीलार्थी

श्री भेरूलाल पुत्र नारायण गाडरी  
निवासी ब्यावर पोस्ट- धीरजी का खेडा  
तहसील: भदोसर  
जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान)

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोड कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोड कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18/409 दिनांक 22-04-2019 के संबंध में श्री भेरूलाल पुत्र नारायण गाडरी निवासी ब्यावर पोस्ट- धीरजी का खेडा, तहसील भदोसर, जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम -2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 की जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार निराकरण किया जाता है:-

"केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्री नारायण/घासी गाडरी के द्वारा फसल वर्ष 2000-01 एवं वर्ष 2004-05 में जमा की गई अफीम के मारफीन प्रतिशत एवं गाढता की सूचना प्रदान किया जाये।"

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्ति के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली - 110067 के सम्क्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

आनन्द कुमार  
11/6/19  
(आनंद कुमार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री भेरूलाल पुत्र नारायण गाडरी  
निवासी ब्यावर पोस्ट- धीरजी का खेडा  
तहसील भदेसर  
जिला- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18

दिनांक: 11.06.2019

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
2. श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

आनन्द कुमार  
11/6/19  
(आनंद कुमार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neesuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19 - 375

दिनांक: 18.04.2019

फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19/8030 दिनांक 29-01-2019  
के मामले में

श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट  
निवासी ग्राम व पोस्ट- शादी  
तहसील चित्तौडगढ  
जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

प्रतिवादी

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोड कारखाना, नीमच (म.प्र.)

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोड कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19/8030 दिनांक 29-01-2019 के संबंध में श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट निवासी ग्राम व पोस्ट- शादी, तहसील चित्तौडगढ, जिला- चित्तौडगढ (राजस्थान) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29-10-2018 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 की जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार निराकरण किया जाता है:-

(क) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्री जीतु जाट पुत्र कालु के फसल वर्ष 1998-99 से वर्ष 2003-04 तक जमा की गई अफीम के मारफीन प्रतिशत एवं गाढ़ता की सूचना प्रदान किया जाये।

(ख) श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट के फसल वर्ष 2010-11 के जानकारी CPIO के पत्र फा.सं. II(22)31/GJ/RTI/2018-19 दिनांक 08.04.2019 के द्वारा आवेदक को अग्रसारित कर दिया गया है।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्त के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली - 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

08/04/2019

(आनंद कुमार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट  
निवासी ग्राम व पोस्ट- शादी  
तहसील चित्तौडगढ़  
जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19

दिनांक: 08.04.2019

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

✓ 2. श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर आर्डर अपडेट करना हेतु।

08/04/2019

(आनंद कुमार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19 -5973

दिनांक: 03.03.2019

फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19/8030 दिनांक 29-01-2019

के मामले में

श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट  
निवासी ग्राम व पोस्ट- शादी  
तहसील चित्तौड़गढ़  
जिला- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19/8030 दिनांक 29-01-2019 के संबंध में श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट निवासी ग्राम व पोस्ट- शादी, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

3 अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29-10-2018 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 की जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार निराकरण किया जाता है:-

(क) अपीलार्थी द्वारा श्री जीतु जो कि तृतीय पक्ष है, की फसल वर्ष 1998-99 से 2004-05 तक के अफीम के मारफीन प्रतिशत एवं गाढता की सूचना चाही गई थी। परन्तु सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 सेक्शन-11 के तहत किसी तृतीय पक्ष की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।

(ख) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्री गुलाब पुत्र जीतु के फसल वर्ष 2010-11 के अफीम के मारफीन प्रतिशत एवं गाढता की सूचना प्रदान किया जाये।

2. अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका उल्लेखित आवेदन इस स्तर पर खत्म किया जाता है।

3. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र प्राप्त के 90 दिन के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली - 110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

(आनंद कुमार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री गुलाब पुत्र जीतु जाट  
निवासी ग्राम व पोस्ट- शादी  
तहसील चित्तौड़गढ़  
जिला- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

फा.सं. I(22)31/GJ/RTI/2018-19

दिनांक: .03.2019

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की और सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
2. श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेब साईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

(आनंद कुमार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी





फा.सं. I(22)38/NS/RTI/2017-18 - 1227(c)

दिनांक 11-05-18

फा.सं. I(22)38/NS/RTI/2017-18/10641 दिनांक 24-03-2018  
के मामले में

श्री नारायणलाल पुत्र स्व० शंकरलाल जाट,  
निवासी बोरखेडी, पोस्ट गादोला वाया निम्बाहेडा  
तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

आदेश

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा जारी पत्र फा.सं. I(22)38/NS/RTI/2017-18/10641 दिनांक 24-03-2018 के संबंध में श्री नारायणलाल पुत्र स्व० शंकरलाल जाट, निवासी बोरखेडी, पोस्ट गादोला वाया निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील दिनांक 15.04.2018 के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01-03-2018 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) अपीलार्थी द्वारा स्वतः स्वीकार है कि सम्बन्धित सूचना उसे प्राप्त है।

(ख) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12-04-2018 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उसका परिणाम उपलब्ध करा दिया गया है।

अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण की सुनवाई गाजीपुर द्वारा भी की जा रही है, अतः इस बिन्दु पर उनकी सूचना से सन्तुष्ट न होने पर अपीलकर्ता को प्रथम अपीलार्थी अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिये था।

दिनांक 10-11-2017 से सम्बन्धित सूचना प्रथम आवेदन दिनांक 01.03.2018 पर दर्शित नहीं है, अतः यह अपील से सम्बन्धित नहीं है।

(घ) दिनांक 26-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु कैम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

sdf

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री नारायणलाल पुत्र स्व० शंकरलाल जाट,  
निवासी बोरखेडी, पोस्ट गादोला वाया निम्बाहेडा  
तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

✓ 2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

11/05/18

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)29/GD/RTI/2017-18/9557 दिनांक 12-02-2018

के मामले में

श्री गोपालदास पुत्र चम्पादास वैष्णव,  
निवासी भटवाडा कलों,  
तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: संशोधित आदेश ::

कृपया अपील आदेश फा.सं. I(22)29/GD/RTI/2017-18/100 दिनांक 14-03-18 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में लेख है कि गलती से मॉगी गई सूचना के अनुच्छेद ऊपर नीचे हो गये थे, जिन्हें सुधार कर संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा जारी पत्र फा.सं. I(22)29/GD/RTI/2017-18/1957 दिनांक 12-02-2018 के संबंध में श्री गोपालदास पुत्र चम्पादास वैष्णव, निवासी भटवाडा कलों, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील दिनांक 05.03.2018 के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ग) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) अपीलार्थी की अफीम के कन्टेनर स0 3456 की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 25-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

निरन्तर.....2

अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण की सुनवाई गाजीपुर द्वारा की जा रही है, अतः इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2018 के बिन्दु क्रम सं० 3 के द्वितीय पैरा तारतम्य में नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 25-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ग) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- ६० -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री गोपालदास पुत्र चम्पादास वैष्णव,  
निवासी भटवाडा कलॉ,  
तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

15/3/18

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)30/PD/RTI/2017-18/106

दिनांक 15-03-18

फा.सं. I(22)30/PD/RTI/2017-18/9562 दिनांक 12-02-2018

के मामले में

श्री प्रभुदास पुत्र भूरादास वैष्णव,  
निवासी रुद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: संशोधित आदेश ::

कृपया अपील आदेश फा.सं. I(22)30/PD/RTI/2017-18/106 दिनांक 14-03-18 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में लेख है कि गलती से माँगी गई सूचना के अनुच्छेद ऊपर नीचे हो गये थे, जिन्हें सुधार कर संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा जारी पत्र फा.सं. I(22)30/PD/RTI/2017-18/9562 दिनांक 12-02-2018 के संबंध में श्री प्रभुदास पुत्र भूरादास वैष्णव, निवासी रुद, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील दिनांक 05.03.2018 के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ग) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) अपीलार्थी की अफीम के कन्टेनर स0 3456 की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 25-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

निरन्तर.....2

अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण की सुनवाई गाजीपुर द्वारा की जा रही है, अतः इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2018 के बिन्दु क्रम स0 3 के द्वितीय पैरा तारतम्य में नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 25-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ग) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयवधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु कैम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री प्रभुदास पुत्र भूरादास वैष्णव,  
निवासी रुद, तहसील राशमी  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

15/3/18  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)31/BB/RTI/2017-18 // 9

दिनांक 15-03-18

फा.सं. I(22)31/BB/RTI/2017-18/9567 दिनांक 12-02-2018

के मामले में

श्रीमती बरदी बाई पत्नी धोकल रेगर,  
निवासी रुद, पोस्ट आफिस राशमी,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: संशोधित आदेश ::

कृपया अपील आदेश फा.सं. I(22)31/BB/RTI/2017-18/97 दिनांक 14-03-18 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें ।

उपरोक्त सम्बन्ध में लेख है कि गलती से मांगी गई सूचना के अनुच्छेद ऊपर नीचे हो गये थे , जिन्हें सुधार कर संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा जारी पत्र फा.सं. I(22)31/BB/RTI/2017-18/9163 दिनांक 12-02-2018 के संबंध में श्रीमती बरदी बाई पत्नी धोकल रेगर, निवासी रुद, पोस्ट आफिस राशमी, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील दिनांक 05.03.2018 के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ग) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) अपीलार्थी की अफीम के कन्टेनर स0 3456 की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 25-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

निरन्तर.....2

अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण की सुनवाई गाजीपुर द्वारा की जा रही है, अतः इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2018 के बिन्दु क्रम स0 3 के द्वितीय पैरा तारतम्य में नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 25-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ग) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयवधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- 2 -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्रीमती बरदी बाई पत्नी धोकल रेगर,  
निवासी रूद, पोस्ट आफिस राशमी,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

15/3/18  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद  
कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18/22

दिनांक 15-03-18

फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18/9552 दिनांक 12-02-2018  
के मामले में

श्री शांतीलाल पुत्र मांगीलाल चपलोत,  
निवासी रुद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

**:: संशोधित आदेश ::**

कृपया अपील आदेश फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18/103 दिनांक 14-03-18 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें ।

उपरोक्त सम्बन्ध में लेख है कि गलती से मॉगी गई सूचना के अनुच्छेद ऊपर नीचे हो गये थे , जिन्हें सुधार कर संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा जारी पत्र फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18/9552 दिनांक 12-02-2018 के संबंध में श्री शांतीलाल पुत्र मांगीलाल चपलोत, निवासी रुद, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील दिनांक 05.03.2018 के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ग) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) अपीलार्थी की अफीम के कन्टेनर स0 3456 की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 25-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

निरन्तर.....2

अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण की सुनवाई गाजीपुर द्वारा की जा रही है, अतः इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2018 के बिन्दु क्रम स0 3 के द्वितीय पैरा तारतम्य में नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 25-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ग) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- 8 -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री शांतिलाल पुत्र मांगीलाल चपलोट,  
निवासी रूद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

15/3/18  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)3/BB/RTI/2017-18 99

दिनांक 14-03-18

फा.सं. I(22)3/BB/RTI/2017-18/9567 दिनांक 12-02-2018 ( 12-2-2018)

के मामले में

श्रीमती बरदीबाई पत्नी धोकल,  
निवासी रुद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)3/BB/RTI/2017-18/9567 दिनांक 12-02-2018 ( 12-2-2018) के संबंध में श्रीमती बरदी बाई धाकड़ निवासी रुद, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ख) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर.....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनिरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- १० -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्रीमती बरदीबाई पत्नी धोकल,  
निवासी रूद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. 1(22)31/BB/RTI/2017-18

दिनांक 14-03-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- ✓ 2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone: 07423-220199

फैक्स Fax: 07423-220647  
ई-मेल Email: gmopmmmlt@dataone.in

फा.सं. I(22)29/GD/RTI/2017-18/02

दिनांक 14-03-18

फा.सं. I(22)29/GD/RTI/2017-18/9557 दिनांक 12-02-2018 ( - -2018)

के मामले में

श्री. गोपालदास पुत्र चंपदास वेष्णव,  
निवासी भटवाड़ा,  
तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)29/जीडी/RTI/2017-18/9557 दिनांक 12-02-2018 ( - -2018) के संबंध में श्री. गोपालदास पुत्र चंपदास वेष्णव निवासी भटवाड़ा, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर.....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- 60 -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री. गोपालदास पुत्र चंपदास वेष्णव,  
निवासी भटवाड़ा,  
तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. 1(22)29/RTI/2017-18

दिनांक 14-03-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।
- ✓ 2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

14/3/18  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18 105

दिनांक 14-03-18

फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18/9552 दिनांक 12-02-2018 (2018)

के मामले में

श्री शांतिलाल पुत्र मांगीलाल चपलोट (महाजन)  
निवासी रुद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)32/SL/RTI/2017-18/9552 दिनांक 12-02-2018 ( - -2018) के संबंध में श्री शांतिलाल पुत्र मांगीलाल चपलोट (महाजन), निवासी रुद, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयवधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु कम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- ६० -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री शांतिलाल पुत्र मांगीलाल चपलोट (महाजन),  
निवासी रुद्र,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. 1(22)32/RTI/2017-18

दिनांक 14-03-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।  
✓ श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

(14/3/18)  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220847  
ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)30/PD/RTI/2017-18 108

दिनांक 14-03-18

फा.सं. I(22)30/PD/RTI/2017-18/9562 दिनांक 12-02-2018 ( - -2018)

के मामले में

श्री प्रभुदास पुत्र भुरदास वैष्णव,  
निवासी रुद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय-जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)30/पीडी/RTI/2017-18/9562 दिनांक 12-02-2018 ( - -2018) के संबंध में श्री प्रभुदास पुत्र भुरदास वैष्णव, निवासी रुद, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ख) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर.....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो आप निर्धारित समयवधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु कैम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- 50 -

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री प्रभुदास पुत्र भुरदास वैष्णव,  
निवासी रूद,  
तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
फा.सं. 1(22)30/PRTI/2017-18

दिनांक 14-02-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने।
- ✓ 2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

14/3/18  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopiumnb@dataone.in

फा.सं.1(22)24/BM/RTI/2017-18 | 5

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. 1(22)24/RV/RTI/2017-18/9173 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्री वजीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद मुस्लमान  
निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षरोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेशः

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षरोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश फा.सं. 1(22)24/BM/RTI/2017-18/9173 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्री वजीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद मुस्लमान निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में)राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सुचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में, केन्द्रीय सुचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

*हस्ता*

(हरीनारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री वजीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद मुस्लमान  
निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

फा.सं.1(22)24/BM/RTI/2017-18

दिनांक: 23.02.2018

प्रतिलिपि-

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

2.श्री सेमल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

*हस्ता*  
13/2/18

(हरी नारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmnmh@dataone.in

फा.सं.1(22)27/SJ/RTI/2017-18 18

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. 1(22)27/SJ/RTI/2017-18/9159 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्री शंभु पुत्र हेमा जाट,  
निवासी बानसेन-ब, पोस्ट बानसेन  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. 1(22)27/SJ/RTI/2017-18/9155 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्री रामनाथ पुत्र वेंणीनाथ योगी निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

5. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को

उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।


नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में)राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।


यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री शंभु पुत्र हेमा जाट,  
निवासी बानसेन-ब, पोस्ट बानसेन  
तहसील भदसरा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
फा.सं.1(22)27/SJ/RTI/2017-18  
प्रतिलिपि-

दिनांक: 23.02.2018

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।  
2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

  
(हरि नारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopmmh@dataone.in

फा.सं. I(22)16/GO/RTI/2017-18 ~~21~~ 21

दिनांक 23-02-18

फा.सं. I(22)16/GO/RTI/2017-18/9171 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018)  
के मामले में

श्री जीतू पुत्र गोपाल जाट,  
निवासी रूपाखेड़ी पी.ओ.कन्थारिया,  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)16/GO/RTI/2017-18/9171 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018) के संबंध में श्री जीतू पुत्र गोपाल जाट, निवासी रूपाखेड़ी पी.ओ.कन्थारिया, तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर.....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।


नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सैम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु कैंपस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी


श्री जीतू पुत्र गोपाल जाट,  
निवासी रूपाखेड़ी पी.ओ.कन्थारिया,  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. I(22)16/GO/RTI/2017-18

दिनांक 23-02-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmnhb@dataone.in

फा.सं. I(22)26/RV/RTI/2017-18 ~~24~~

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. I(22)26/RV/RTI/2017-18/9161 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्री रामनाथ पुत्र बैणीनाथ योगी  
निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच ((म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)26/RV/RTI/2017-18/9161 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्री रामनाथ पुत्र बैणीनाथ योगी निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में)राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में. केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

— हस्ता —

(हरीनारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री रामनाथ पुत्र बेंपीनाथ योगी  
निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

फा.सं.।(22)26/RV/RTI/2017-18

दिनांक: 23.02.2018

प्रतिलिपि-

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

23/2/18

(हरी नारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)23/SH/RTI/2017-18 १४

दिनांक 23-02-18

फा.सं. I(22)23/SH/RTI/2017-18/9151 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018)  
के मामले में

श्रीमती सायरा पत्नी शमशुद्दीन (मृतक) पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान  
निवासी व पोस्ट सादी,  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)23/SH/RTI/2017-18/9151 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018) के संबंध में श्रीमती सायरा पत्नी शमशुद्दीन (मृतक) पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी व पोस्ट सादी, तहसील जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर.....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

*हरिता*  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्रीमती सायरा पत्नी शमशुद्दीन (मृतक) पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान,  
निवासी व पोस्ट सादी,  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. I(22)23/SH/RTI/2017-18

दिनांक 23-02-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

*2017/18*  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फेक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopmamh@dataone.in

फा.सं.1(22)/25/MA/RTI/2017-18 30

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. 1(22)/25/MA/RTI/2017-18/9157 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्रीमति मांगी बाई पत्नी स्व. अर्जुन जाट  
निवासी गोपालपुरा व पोस्ट सादी वाया बीजापुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षरोद कारखाना, नीमच ((म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेशः

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षरोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. 1(22)/25/MA/RTI/2017-18/9157 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्रीमति मांगी बाई पत्नी स्व. अर्जुन जाट निवासी गोपालपुरा व पोस्ट सादी वाया बीजापुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3(ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित हैं तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में) राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयवधि में, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु. केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

  
(हरीनारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्रीमति मांगी बाई पत्नी स्व. अर्जुन जाट  
निवासी गोपलपुरा व पोस्ट सादी वाया बीजापुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

फा.सं. I(22)25/MA/RTI/2017-18

दिनांक: 23.02.2018

प्रतिलिपि-

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

  
23/2/18

(हरी नारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)17/GJ/RTI/2017-18 33

दिनांक 23-02-18

फा.सं. I(22)17/GJ/RTI/2017-18/9167 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018)  
के मामले में

श्री गेहरू पुत्र औंकारलाल जाट  
निवासी कोशिथल पी.ओ.आक्या,  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)17/GJ/RTI/2017-18/9167 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018) के संबंध में श्री गेहरू पुत्र औंकारलाल जाट, निवासी कोशिथल पी.ओ.आक्या, तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ख) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर.....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ङ) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयवधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

- *हस्ताक्षर*  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री गेहरु पुत्र औंकारलाल जाट,  
निवासी कोशितल पी.ओ.आक्या,  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. I(22)17/GJ/RTI/2017-18

दिनांक 23-02-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाइट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

*हस्ताक्षर*  
23/2/18  
(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी





फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18 36

दिनांक 23-02-18

फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18/9163 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018)  
के मामले में

श्री भेरूलाल पुत्र नारायण जी गाडरी,  
निवासी ब्यावर, पोस्ट आफिस धीरजी का खेड़ा,  
तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

:: आदेश ::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पत्र फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18/9163 दिनांक 31-01-2018 (01-02-2018) के संबंध में श्री भेरूलाल पुत्र नारायण जी गाडरी, निवासी ब्यावर, पोस्ट आफिस धीरजी का खेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गई अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3 (क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गई थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3 (क) FTNIR जांच को मानक जांच माने जाने के संबंध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जांच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों की जांच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जांचों के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया जावे।

निरन्तर....2

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जांच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) से संबंधित है तथा इस बिन्दु की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाज़ीपुर (उ.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24-10-2017 को उनकी अफीम के जांच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गये हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में) राज्यादेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

दिनांक 24-10-2017 के कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में लेख है कि चाही गई छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग-डिकोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288 / 24-08-2017 में प्रसारित आदेश - 50 ग्राम सेम्पल जांच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानान्तरित किया जावे।

2. तदानुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टॉफ क्वार्टर्स के पास, ओल्ड जेएनयु कैम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष अपील दर्ज कर सकते हैं।

हस्ता.

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री भेरूलाल पुत्र नारायण जी गाडरी,  
निवासी ब्यावर, पोस्ट आफिस धीरजी का खेड़ा,  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं. I(22)21/BH/RTI/2017-18

दिनांक 23-02-18

प्रतिलिपि-

1. केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- ✓ 2. श्री गोपाल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

20/2/18

(हरिनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220647  
ई-मेल Email : gmopnmb@datone.in

फा.सं. I(22)22/RN/RTI/2017-18 39

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. I(22)22/RN/RTI/2017-18/9155 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्री रतनलाल पुत्र नानालाल जाट  
निवासी व पोस्ट वाया बिजयपुर  
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच ((म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)22/RN/RTI/2017-18/9155 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्री रामनाथ पुत्र बंणीनाथ योगी निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

4. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को

उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में)राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

हस्ता.

(हरीनारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री रतनलाल पुत्र नानालाल जाट

निवासी व पोस्ट वाया बिजयपुर

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

फा.सं.1(22)22/RN/RTI/2017-18

दिनांक: 23.02.2018

प्रतिलिपि-

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

23/02/18

(हरी नारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



फा.सं. I(22)19/GH/RTI/2017-18 ५२

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. I(22)19/GH/RTI/2017-18/9169 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्री गेहरु पुत्र ओंकार लाल  
निवासी व पोस्ट सोनियाणा-ए  
तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच ((म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)19/GH/RTI/2017-18/9169 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्री गेहरु पुत्र ओंकार लाल निवासी व पोस्ट सोनियाणा-ए तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीक से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में) राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

- हरी

(हरीनारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री गेहरु पुत्र ओंकार लाल  
निवासी व पोस्ट सोनियाणा-ए  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
फा.सं.।(22)19/GH/RTI/2017-18

दिनांक: 23.02.2018

प्रतिलिपि-

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

23/02/18

(हरी नारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone : 07423-220199

फैक्स Fax : 07423-220647

ई-मेल Email : gmopmnmh@dataone.in

फा.सं. I(22)20/CK/RTI/2017-18 44

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. I(22)20/CK/RTI/2017-18/9153 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्रीमति चॉद कंवर पत्नी रतनसिंह  
निवासी ब्याबर व पोस्ट धीरजी का खेड़ा  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेशः

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)20/CK/RTI/2017-18/9153 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्रीमति चॉद कंवर पत्नी रतनसिंह निवासी ब्याबर व पोस्ट धीरजी का खेड़ा तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

3. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।

नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में) राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

—हस्ता—

(हरिनारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्रीमति चाँद कंवर पत्नी रतनसिंह  
निवासी ब्यावर व पोस्ट धीरजी का खेड़ा  
तहसील भदोसर जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

फा.सं. I(22)20/CK/RTI/2017-18

दिनांक: 23.02.2018

प्रतिलिपि-

- 1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- 2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

23/02/18

(हरि नारायण मीना)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
कार्यालय महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
नीमच-458441 (म.प्र.)



GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
Department of Revenue,  
Office of the General Manager,  
Govt. Opium & Alkaloid Works,  
Neemuch-458441 (M.P.)

टेलिफोन Telephone: 07423-220199

फैक्स Fax: 07423-220647  
ई-मेल Email: gmopnumh@dataone.in

फा.सं. I(22)/18/NG/RTI/2017-18 47

दिनांक: 23.02.2018

फा.सं. I(22)/18/NG/RTI/2017-18/9159 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के मामले में

श्री नानालाल पुत्र धन्ना जाट,  
निवासी व पोस्ट सादी वाया बीजयपुर  
तहसील जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

अपीलार्थी

विरुद्ध

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,  
शा. अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

प्रतिवादी

::आदेश::

यह आदेश केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शा अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश पात्र फा.सं. I(22)/18/NG/RTI/2017-18/9155 दिनांक 31-01-2018(01-02-2018) के संबंध में श्री रामनाथ पुत्र बैणीनाथ योगी निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा दायर की गयी अपील के निस्तारण हेतु पारित किया गया है।

6. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30/12/2017 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 3(क) से 3 (ड) तक जानकारी चाही गयी थी। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रदत्त जानकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया जाता है:-

3(क) FTNIR जाँच को मानक जाँच माने जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे। अपीलकर्ता की अफीम जाँच में प्रत्येक बार अलग परिणाम आने तथा FTNIR तकनीक को मानक माने जाने के आदेश की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ख) FTNIR तकनीकी से अफीम के नमूनों कि जाँच के अलावा अन्य प्रयोगों के संबंध में जानकारी एवं पब्लिक डोमेन पर जाँच के परिणाम में अप्रत्याशित भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपीलकर्ता को

उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जावे।

(ग) अपीलार्थी की अफीम की जाँच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर (उ.प्र.) से सम्बंधित है तथा इस बिंदुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता के प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

(घ) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, अपीलार्थी को दिनांक 24.10.2017 को उनकी अफीम एवं जाँच परिणाम, जो कि अपीलकर्ता के समक्ष शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच की प्रयोगशाला में किये गए हैं, उपलब्ध करावे।


नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 के विरुद्ध जारी (अधिनियम कि धारा 8 के सन्दर्भ में)राज्यादेश की प्रती अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर(म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

दिनांक 24.10.2017 को कोडिंग रजिस्टर की छायाप्रति गोपनीय प्रवृत्ति की होकर सूचना के अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 8 अनुसार नहीं प्रदान की जा सकती है क्योंकि कोडिंग- डी-कोडिंग एक गोपनीय प्रक्रिया है।

(ड) नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक XV(10)8/OP/Challan/2017-280-288/24.08.2017 में प्रसारित आदेश- 50 ग्राम सेम्पल जाँच परिणाम को ही अंतिम (अधिकृत) की सत्य प्रतिलिपि अपीलकर्ता को उपलब्ध करने हेतु प्रकरण को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.) को स्थानांतरित किया जावे।

2. तदनुसार आदेश पारित।

यदि आप प्रदान की गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समयावधि में, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टरस के पास, ओल्ड जेएनयु केम्पस, मुनरिका, नई दिल्ली -110067 के सक्षम अपील दर्ज कर सकते हैं।

  
(हरीनारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री नानालाल पुत्र धन्ना जाट,  
निवासी व पोस्ट सादी वाया बिजयपुर  
तहसील जिला चित्तौड़गढ़(राज.)


फा.सं.1(2218/NG/RTI/2017-18

प्रतिलिपि-

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शा.अफीम एवं क्षारोद कारखाना,नीमच (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

2.श्री गोपल भट्ट की ओर विभाग की वेबसाईट पर आर्डर अपडेट करने हेतु।

दिनांक: 23.02.2018

  
23/02/18

(हरी नारायण मीना)  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी